

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा, जोधपुर राजस्थान

—:कार्यालय आदेश:—

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102 /सी.भ./व0अ0-विशेष शिक्षा/सभी विषय/2015/ दिनांक 15.02.2019 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा) सभी विषय भर्ती परीक्षा 2015 से चयनित आशार्थियों (विशेष शिक्षा - हिन्दी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल 11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 26,500/- (छब्बीस हजार पाँच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका पदस्थापन परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है:-

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
5. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2015 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।


विद्यालय आवंटन के पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) सभी विषय (गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 07.02.2018 (जी.के.) से 10.02.2018 (ऐच्छिक विषय) को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक (यथा स्नातक/ बी.एड./एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात् की है, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर पद अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से स्वघोषित शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

22/17

8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
9. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी आशय का 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
10. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
13. चयनित अभ्यर्थी विभागीय की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/secondary> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत होंगे।
14. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदकशे प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2015 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2364/2016 रतनलाल पलसानिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व 23 अन्य याचिकाओं तथा दायर अन्य विभिन्न याचिकाओं एवं डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1884/2016 श्री अनिल कुमार भारद्वाज व अन्य बनाम सरकार तथा 23883/2018 फूलचन्द गौतम व अन्य बनाम सरकार व अन्य के निर्णयों के अध्याधीन रहेंगे।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक 02.03.2019 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्तदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय की मेल आई.डी. jd.jod.estt@gmail.com पर भिजवाने की व्यवस्था की जावे।



(बंशीधर गुर्जर)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

जोधपुर संभाग, जोधपुर

दिनांक:- 21/02/19

क्रमांक:-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2015/वि.शि./2019/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर।
9. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति
10. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ
11. संबंधित आशार्थी
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

जोधपुर संभाग, जोधपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर सम्भाग, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांक-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/ओरपीएससी 2015/वि.शि./2019/23

दिनांक- 21/02/19

विषय - विशेष शिक्षा (हिन्दी)

क्र.स.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	स्थायी पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	21	JETHA RAM	GEPAR RAM	03-01-1982	VILL- DEVARIYA, POST- NAGNA, VIA - KALYANPUR TH.- PACHPADRA, BARMER-344026	SC	SC MR	AADARSH GOVT.SR.SEC.SCHOOL, PACHPADRA NAGAR , BALOTRA, DIST - BARMER	नियत पारिश्रमिक

विषय - विशेष शिक्षा (विज्ञान)

1	9	RAJNI LILAD	RAM CHANDER LILAD	08-09-1991	NEAR POWER HOUSE, VILL & POST- BALRAWA, TH.- TINWARI, JODHPUR-342306	SC	SC,WE MR	S.J.S. GOVT. SR. SEC. SCHOOL SEKHALA , SEKHALA, DIST - JODHPUR	नियत पारिश्रमिक
2	12	GORDHAN SIYOL	SAJAN RAM	15-08-1988	SIYOLO KI DHANI, VILL- MANDIYAI KHURD, POST- MANDIYAI KALA, TH-TINWARI, JODHPUR-342306	BC	BC VI	GOVT. BLIND SCHOOL, JODHPUR CITY, DIST - JODHPUR	नियत पारिश्रमिक

विषय - विशेष शिक्षा (सामाजिक विज्ञान)

1	3	NARENDRA GENAN	MOHANRAM GENAN	12-11-1992	VILL & POST - SALWAN KALA, VIA- BANAD, JODHPUR-342027	BC	BC,NG MR	GOVT.HR.SEC.SCHOOL BILARA , BILARA, DIST - JODHPUR	नियत पारिश्रमिक
2	4	RAMPAL	LADU RAM	01-01-1994	VILL & POST - DAHIKADA, VIA- BANAD, JODHPUR-342027	BC	BC MR	GOVT. SR.SEC.SCHOOL, BALESAR, BALESAR, DIST - JODHPUR	नियत पारिश्रमिक
3	21	RAJENDRA SINGH CHOUDHARY	ROOPA RAM CHOUDHARY	09-02-1989	VILL & POST - ISHRU, VIA - AAU, TH - PHALODI, JODHPUR-342311	BC	BC MR	GOVT. SECONDARY SCHOOL KUMHAR PARA JAISALMER, DIST - JAISALMER	नियत पारिश्रमिक

22/11
(बंशीधर गुर्जर)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
जोधपुर सम्भाग, जोधपुर